

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2007/00097 बअनवान ईचरज कंवर के कामु किरण कुमारी वगैरा

बनाम विनयचंद वगैरा

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
06 09/025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वादी अधिवक्ता श्री अयुब अली व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार की प्रकरण में कायम विधिक तनकियों पर हुई बहस एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं संयुक्त हिन्दु परिवार के विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड यथा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. असल विक्रय विलेख खातेदारी भूमि ओटा वगैरा बनाम पूनमचंद दिनांक 22.06.1973</li> <li>2. असल नक्शा ट्रेस दिनांक 01.09.1980</li> <li>3. असल उद्योग विभाग का प्रस्तावित लघु उद्योग के अस्थाई पंजीयन के लिये आवेदन पत्र दिनांक 12.07.1973</li> <li>4. असल आयकर विभाग का प्रमाण पत्र गणेशदास पुत्र पन्नालाल कांकरिया ब्यावर दिनांक 18.06.1973</li> <li>5. असल आयकर विभाग प्रमाण पत्र पूनमचंद प्रेमराज दिनांक 04.10.1980</li> <li>6. फोटोप्रति भू-प्रबंध विभाग पर्चा लगान दिनांक 25.06.84</li> <li>7. असल रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र विलेख 01.12.73</li> <li>8. असल फार्म ए दिनांक 01.12.73</li> <li>9. असल फार्म सीएसटी 2 दिनांक 01.12.73</li> <li>10. कार्यालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा महेशचंद्र मुनीम पूनमचंद प्रेमराज कांकरिया फर्म का नोटिस दिनांक 21.09.1973</li> <li>11. असल नोटिस दिनांक 14.09.73</li> <li>12. असल प्रस्तावित लघु उद्योग का अस्थाई पंजीकरण 05.09.1973</li> <li>13. असल वाणिज्य कर विभाग मांग पत्र दिनांक 11.05.1982</li> <li>14. असल कृषि भूमि का प्रौद्योगिक भूमि में कन्वर्जन की सूचना दिनांक 13.02.74</li> <li>15. असल लैटर दिनांक 02.03.1974</li> <li>16. असल रकम जमा कराने का चालान दिनांक 15.11.73</li> <li>17. असल कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी पाली का लैटर दिनांक 15.11.73</li> <li>18. प्रमाणित प्रतिलिपि सरकार पूनमचंद की प्रति दिनांक 31.03.73</li> <li>19. प्रमाणित प्रतिलिपि मौका नक्शा दिनांक 18.07.89</li> <li>20. फोटोप्रति बंटवाडानामा रूपये 10 पर दिनांक 26.08.91</li> <li>21. असल मुख्त्यारनामा आम दिनांक 25.10.96</li> <li>22. वाणिज्य कर विभाग का मांग पत्र दिनांक 15.09.82</li> <li>23. फोटो प्रति समझौता पत्र उत्तमचंद व इचरज कंवर के बीच दिनांक 26.10.96</li> <li>24. असल उपपंजीयक की कार्यालय की रसीद दिनांक 24.05.06</li> <li>25. असल स्टाम्प दस्तावेज संख्या 2004001280 दिनांक 09.09.04 के साथ संलग्न किया।</li> <li>26. प्रमाणित प्रतिलिपि लिखत बेचान खातेदारी हक विनयचंद पुत्र प्रेमराज बहैसियत स्वयं एवं आम मुख्त्यार सर्व श्री सुरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रगण प्रेमराज बनाम बाबुलाल, हिम्मतमल दिनांक 08.09.2004</li> </ol>	



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

27. प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल दिनांक 25.03.06
28. प्रमाणित प्रति दुरस्ती करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
29. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चालु दिनांक 16.05.06
30. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी दिनांक 22.05.07
31. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी दिनांक 16.05.06
32. प्रमाणित प्रति भू-प्रबंध खतौनी जमाबंदी पूनमचंद/ प्रेमराज दिनांक 25.05.96
33. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी दिनांक 22.05.07
34. समझौता पत्र प्रकाशचंद व इचरज कंवर के बीच दिनांक 26.10.96
35. असल साप्ताहिक छुट्टी अथवा साप्ताहिक छुट्टी में परिवर्तन की सूचना दिनांक 28.10.74

एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 13.12.05, 01.05.06, 17.09.05, 30.03.05, 29.12.04, 17.09.05, 15.06.06, 15.02.06, 01.09.05, 08.06.05 की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाबदावा एवं जवाबुल जवाब में उल्लेखित कथनों का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम विधिक तनकियात को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. आया कि प्रकरण फर्म की चल अचल सम्पत्ति के विभाजन का होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही है?.....प्रतिवादी उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। परंतु अपने जवाबदावा में उल्लेखित कथनों में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बाली के गत खसरा नंबर 533 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 532 रकबा 4 बिस्वा भूमि के खातेदार ओटा पुत्र गोमा व वजा पुत्र हरनाथ एवं देवा, रामा पिसरान वरदा जाति घांची से पूनमचंद प्रेमराज ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.09.1973 से खसरा नंबर 533 में से रकबा साढे पांच बीघा 4 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिस भूमि के भू-प्रबंध विभाग के बाद के खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर व खसरा नंबर 2410 रकबा 0.34 हैक्टर कायम हुये। जिस भूमि बाली के हाल खसरा नंबर 2409 व 2410 का पर्चा लगान संख्या 144 भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी किया, जिसमें पूनमचंद प्रेमराज पिता पन्नालाल कोम ओसवाल कांकरिया सा0 ब्यावर बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया गया। जो जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में मूल खातेदारान के देहान्त होने से प्रकाशचंद उत्तमचंद पिता पूनमचंद विमलचंद पुत्र प्रेमराज बहिस्सा बराबर कौम ओसवाल कांकरिया सा0 ब्यावर के नाम खसरा नंबर 2410 रकबा 0.34 हैक्टर की भूमि दर्ज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध बेचान रजिस्ट्री दिनांक 09.09.2004 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि बाली के हाल खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर के खातेदार पूनमचंद प्रेमराज के वारिस विनयचंद पुत्र प्रेमराज बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत आम मुख्तियार सर्व श्री सुरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र प्रेमराज जी द्वारा खरीदकर्ता बाबुलाल पुत्र उमारामजी एवं हिम्मतमल पुत्र उमारामजी को बेचान प्रतिफल की राशि 850000/- रुपये प्राप्त कर भूमि बेचान की गई तथा खरीदकर्तागणों द्वारा उक्त भूमि में से रकबा 1237.5 वर्गफीट भूमि का पुनः श्रवणसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्रगण कुशालसिंह चौहान को बेचान करने से जमाबंदी वर्ष 2005 में ग्राम बाली के हाल खसरा नंबर 2409



3  
सहायक क्लर्क एवं मदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

रकबा 0.58 हैक्टर में इनके इन्द्राज बतौर खातेदार दर्ज होना भी ज्ञात है। इसी प्रकार वादी पक्ष द्वारा पूनमचंद के वारिस उत्तमचंद तथा प्रकाशचंद तथा नेमीचंद के वारिसान इचरज कंवर वगैरा के मध्य दिनांक 26.10.96 को हुये समझौता पत्र की प्रतियों के अवलोकन से ज्ञात है कि समझौता पत्र के अन्त में उल्लेखित कथनों के अनुसार इचरज कंवर वगैरा का प्रथम पक्ष पुनमचन्द वगैरा के संपुर्ण प्रतिष्ठान से लेन देन समाप्त हो जायेगें। तथा दिनांक 26.10.1996 को पन्नालाल के वारिशान में हुये विभाजन के अनुसार तमाम सम्पत्तियों का पन्नालाल के वारिशो में बंटवारा हो चुका है, तथा प्रेमराज के वारिस विनयचंद द्वारा अपने पिता प्रेमराज के हिस्से बंट में आई भूमि बाबुलाल व हिम्मतमल पिता उमारामजी को बेचान करने से भूमि बाली के खसरा नंबर 2409 बाबुलाल पुत्र उमाराम व हिम्मतमल पुत्र उमाराम के नाम दर्ज हुई जिनके द्वारा बाली के खसरा नंबर 2409 के कुल 39 भूखण्ड बनाते हुये हरिओम नगर के नाम से आवासीय कॉलोनी का प्लान तैयार करते हुये विभिन्न व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.12.05, 01.05.06, 17.09.05, 30.03.05, 29.12.04, 17.09.05, 15.06.06, 15.02.06, 01.09.05, 08.06.05 से किया जाना भी जवाबदावा के साथ प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्रीयों की फोटोप्रतियों से प्रमाणित है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त वाद कृषि भूमि में हिन्दु अविभाजित परिवार की सदस्या होने को आधार बनाते हुये पूनमचंद प्रेमराज फर्म के नाम से खरीद की गई भूमि में अपना 1/3 हिस्सा के हक-स्वत्व की घोषणा के साथ विभाजन की डिक्री की मांग की है। संयुक्त हिन्दु परिवार की परिभाषा के अवलोकन मात्र से ज्ञात है कि संयुक्त हिन्दु परिवार वह परिवार है जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढियों के लोग रहते है जिस परिवार में तीन या अधिक पीढियों के सदस्य साथ-साथ निवास करते है। जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपति सामूहिक होती है। उसे ही संयुक्त परिवार कहते है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या उक्त परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। विधि अनुसार कोई परिवार संयुक्त परिवार है अथवा नहीं, इस तथ्य का जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से विनिश्चयन नहीं हो जाता तब तक संयुक्त हिन्दु परिवार नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बाली के गत खसरा नंबर 533 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 532 रकबा 4 बिस्वा भूमि के खातेदार ओटा पुत्र गोमा व वजा पुत्र हरनाथ एवं देवा, रामा पिसरान वरदा जाति घांची से खरीदकर्ता पूनमचंद प्रेमराज ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.09.1973 से खसरा नंबर 533 में से रकबा साढे पांच बीघा 4 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। नेमीचन्द अथवा नेमीचन्द के वारिश इचरजकंवर वगैरा का नाम विक्रय विलेख में नहीं है। प्रकरण में वादी पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि पन्नालाल के वारिस पुत्र अलग-अलग स्थानो पर निवास करते है एवं पुत्रों के नाम विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रतिष्ठान रहे है। जिन प्रतिष्ठानों के साझेदार कौन-कौन रहे है, इसका उल्लेख तो वादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया। परंतु दिनांक 26.10.96 को वादीनी परिवार तथा प्रतिवादी पक्ष पूनमचंद के वारिसान के मध्य हुये समझौता पत्र के अन्त में उल्लेखित कथनों के अनुसार इचरज कंवर वगैरा का प्रथम पक्ष पुनमचन्द वगैरा के संपुर्ण प्रतिष्ठान से लेन देन समाप्त हो जायेगें। तथा दिनांक 26.10.1996 को पन्नालाल के वारिशान में हुये विभाजन



3  
सहायक वकील एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

के अनुसार तमाम सम्पत्तियों का पन्नालाल के वारिशो में बंटवारा हो चुका है, तथा प्रेमराज के वारिस विनयचंद द्वारा अपने पिता प्रेमराज के हिस्से बंट में आई खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 दिनांक 09.09.2004 से वादग्रस्त भूमि बेचान कर दी। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 07 व 08 अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज हुये। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 07 व 08 वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राइट्स में खातेदार दर्ज होने से वादी पक्ष बिना रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त कराये इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद समझौता पत्र एवं बंटवारनामा दिनांक 26.10.96 के अनुसार फर्म की चल/अचल संपत्तियों के विभाजन होने के बाद दिनांक 09.09.2004 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त भूमि बाली के हाल खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के द्वारा खरीद करने से वक्त खरीद दिनांक से प्रतिवादी संख्या 07 व 08 बतौर खातेदार दर्ज है। वादी पक्ष का उक्त वाद अप्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.09.2024 को चुनौती देने का होने तथा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होते हुये वादी पक्ष द्वारा स्टाम्प ड्यूटी से बचने के उद्देश्य से इस न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना साबित है। इस संबंध में विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त 1. आर.आर.डी. 1983- जिसके अनुसार-Raj Tenancy Act, Secs. 207, 242 & 88- Specific Relief Act, Secs. 31 & 32- Jurisdiction of R.C. or C.C. to try suit- Suit for declaration and possession, filed by ptff. alleging that suit land, jointly purchased by her and deft. No. 1 who by fraud got it entered solely in his name in sale deed- Suit, held triable by C.C. since relief could be granted only after sale deed, rectified- Relief of possession and declaration incidental to rectification of sale deed. भूमि दिनांक 12.09.73 को पूनमचंद प्रेमराज के नाम से खरीद की गई होने से सटीक है।

2. AIR 1966 Supreme Court 1300 जिसके अनुसार-  
(A) Partnership Act (1932), Ss. 14, 15, 29, 32, 37, 38 and 48- Interest of partner in partnership property during subsistence of partnership and after its dissolution-Nature of  
(B) Registration Act (1908), S. 17 (1) (c) Document recording previous fact of dissolution of partnership and relinquishment of interest of partner in partnership assets by way of adjustment- Not compulsorily registrable. AIR 1931 Mad 580, Overruled, View of Teland, J. in (1893) ILR 17 Bom 235, not approved. इस प्रकरण में भी दिनांक 26.10.96 को पक्षकारों के मध्य साझेदारी का विघटन होकर संपत्तियों का विभाजन हो जाने से सटीक है।  
वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण:-



3  
सहायक जज एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

1. 2025(1) आरआरटी 321
2. 2025(2)डीएनजे राज 598
3. एआईआर 2007 एचपी पेज 11
4. एआईआर 1991 कलकत्ता 237
5. एआईआर 1988 उडीसा 35
6. एआईआर 1996 कलकत्ता 430
7. एआईआर 1989 एमपी 316
8. एआईआर 1991 इलाहाबाद 89

हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते है जिससे उक्त प्रकरण पर सटीक नहीं है।

जिससे उक्त विधिक तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी पक्ष के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

2. आया कि वादग्रस्त भूमि अन्य लोगों को बेच दी गई है, वे आवश्यक पक्षकार है तथा उनको पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है?.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था, प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के द्वारा वादग्रस्त भूमि बाली के हाल खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.09.2004 के खरीद के पश्चात अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज हुये। खातेदार दर्ज होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 2409 का लेआउट प्लान तैयार करते हुये हरिओम नगर के नाम से कुल 39 भूखण्ड काटते हुये विभिन्न लोगों को जरिये रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 13.12.05, 01.05.06, 17.09.05, 30.03.05, 29.12.04, 17.09.05, 15.06.06, 15.02.06, 01.09.05, 08.06.05 बेचान किया जा चुका है। जिन खरीदकर्ताओं में से अधिकांश लोगों द्वारा मकान भी बना लिये है तथा कतिपय खरीदकर्ताओं ने नगरपालिका बाली से आबादी के पट्टे भी प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार प्रकरण में ज्ञात है कि वाद प्रस्तुति से पूर्व वादग्रस्त भूमि के खातेदार द्वारा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के माध्यम से किया जा चुका है। वादी द्वारा अपने वाद में इन खरीदकर्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे प्रतिवादी पक्ष की यह दलील मानने योग्य है कि खरीदकर्ताओं को वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने से पक्षकारों के कुसंयोजन की वजह से वादी पक्ष का उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही राजस्व गुप-4 द्वारा वर्ष 1974 में जारी परिपत्र में वर्णित निर्देशों में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आबादी क्षेत्र में अवस्थित भूमियों के संबंध में वाद प्रस्तुति के समय स्थानीय निकाय को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी पक्ष द्वारा इन निर्देशों की भी स्पष्ट अवहेलना की गई है। जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष में बनना प्रमाणित है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण

1. 2025(1) आरआरटी 321
2. 2025(2)डीएनजे राज 598
3. एआईआर 2007 एचपी पेज 11
4. एआईआर 1991 कलकत्ता 237
5. एआईआर 1988 उडीसा 35
6. एआईआर 1996 कलकत्ता 430
7. एआईआर 1989 एमपी 316
8. एआईआर 1991 इलाहाबाद 89

भी हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाने से



3  
सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उक्त तनकी भी वादीनी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

3. आया कि वादी ने अप्रत्यक्ष तौर पर विक्रय विलेख दिनांक 12.09.73 को तीन दशक से अधिक की अवधि के बाद राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत किया है। अतः वादी स्वयं के सव्यवहार से उक्त वाद लाने से कानूनन एस्टोपड है?.....प्रतिवादी उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाबदावा में उल्लेखित कथनों एवं वादीगण के वादपत्र में उल्लेखित कथनों से हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि वादीपक्ष द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 12.09.1973 को निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख जिसके द्वारा ग्राम बाली के गत. खसरा नंबर 533 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा व गत खसरा नंबर 532 रकबा 3 बिस्वा में से पूनमचंद प्रेमराज पुत्रगण पन्नालाल द्वारा खरीदशुदा भूमि 5 बीघा 14 बिस्वा के हक अधिकारों को चुनौती दी है। परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने/चुनौती देने का आवेदन 3 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परंतु वादीनी द्वारा उक्त वाद 3 दशक से भी अधिक अवधि के पश्चात मनगढंत तथ्यों के आधार पर सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये पेश किया है। जिससे वादीनी का उक्त वाद लिमिटेशन के प्रावधानों से बाधित है, तथा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। जिससे वादीनी उक्त वाद लाने से कानूनन एस्टोपड है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण

1. 2025(1) आरआरटी 321
2. 2025(2)डीएनजे राज 598
3. एआईआर 2007 एचपी पेज 11
4. एआईआर 1991 कलकत्ता 237
5. एआईआर 1988 उडीसा 35
6. एआईआर 1996 कलकत्ता 430
7. एआईआर 1989 एमपी 316
8. एआईआर 1991 इलाहाबाद 89

भी हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाने से उक्त तनकी भी वादीनी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

4. आया कि वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा यदि आबादी में कर्न्वट हो गया हो तो वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं रह जाता है?.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के साथ में प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्रीयों तथा संलग्न लेआउट प्लान के अवलोकन से ज्ञात है कि बाली के हाल खसरा नंबर 2409 का लेआउट प्लान हरिओम नगर के नाम से बनाया जाकर विभिन्न व्यक्तियों को बेचान किया जा चुका है। जिनके द्वारा भूमि का संपरिवर्तन भी करवा दिया है। जिससे भूमि का कुछ हिस्सा आबादी में परिवर्तित हो जाने से वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं रह जाता है। जिससे उक्त तनकी भी वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

वादी पक्ष द्वारा उक्त वाद संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति को आधार बनाते हुये पेश किया है, परन्तु प्रकरण में कायम विधिक तनकियात के निर्णय से यह प्रमाणित है कि



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील  
में जारी हुये

वादग्रस्त भूमि H.U.F. की सम्पति नहीं होकर पुनमचन्द-प्रेमराज पि.पन्नालाल के नाम से खरीद शुदा रही है। प्रकरण में कायम विधिक तनकियों को निर्णीत करने के पश्चात **Issues Of Facts** के संबंध में कायम वाद बिन्दुओं के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि विधिक प्रावधानों के अनुसार ही जब वादी का वाद चलने योग्य नहीं रहता है, तो तथ्यों के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रकरण में कायम चारों **Issues Of Laws** वादीनी के विरुद्ध निर्णीत होने से ग्राम बाली के हाल खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर व खसरा नंबर 2410 रकबा 0.34 हैक्टर के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इबादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाबा वीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलारा श्री दिनेश विरनोई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

- स्व. श्रीमती इचरज कंवर स्व. श्री नेमीचंद जाति जैन कांकरिया निवारी ब्यावर जिला अजमेर के कायम मुकाम
1. श्रीमति किरण कुमारी पुत्री नेमीचंद पत्नी सुरेन्द्र कुमार बांठिया जाति ओसावाल निवारी 4054 प्रेरिटज पार्क व्यू फोम जंक्शन, व्हाइट फिल्ड, बंगलोर 560066
  2. श्रीमति सरोज कंवर पुत्री नेमीचंद पत्नी खेमचंद भंडारी जाति भंडारी निवारी 32/13 सिताय चंद प्रेम जी प्राइवेट लिमिटेड चावल मंडी कानपुर यू.पी.
  3. श्रीमति प्रमिला कुमारी पुत्री नेमीचंद पत्नी सुंदरलाल सुराणा जाति सुराणा निवारी 35 आरमोनियम स्टीट, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल
  4. स्व. ज्ञानचंद पुत्र नेमीचंद के कायम मुकाम  
4/1. श्रीमती संतोष कुमारी कांकरिया देवा स्व. ज्ञानचंद जी  
4/2. रीषभ कांकरिया पुत्र स्व. ज्ञानचंद  
4/3. अर्जित कांकरिया पुत्र स्व. ज्ञानचंद  
4/4. श्रेयांश कांकरिया पुत्र स्व. ज्ञानचंद तमाम जाति के जैन कांकरिया, निवासीगण नया वास, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर राजस्थान
  5. नरेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचंद वादीगण संख्या 4 व 5 जाति के जैन कांकरिया, निवासीगण 155 बाफना गली, ब्यावर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-


1. विनयचंद पुत्र प्रेमराज
2. विमलचंद पुत्र प्रेमराज
3. सुरेन्द्र पुत्र प्रेमराज
4. राजेन्द्र पुत्र प्रेमराज
5. प्रकाशचंद पुत्र पूनमचंद
6. उत्तमचंद पुत्र पूनमचंद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाये 06 जाति के जैन कांकरिया, निवासीगण कांकरिया पोल, रायली गली ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7. बाबूलाल पुत्र उमाराम
8. हिम्मताराम पुत्र उमाराम प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 जाति के सीरवी तहसील बाली जिला पाली
9. श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह
10. नरेन्द्रसिंह पुत्र खुशालसिंह प्रतिवादीगण संख्या 09 व 10 जाति के राजपूत निवासीगण खिन्दावा पोस्ट पादरला तहसील बाली जिला पाली
11. नरसिंहदान पुत्र हमीरदान जी
12. चन्द्र कंवर पत्नी नरसिंहदान प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 जाति के चारण निवासीगण मिरगेश्वर तहसील बाली
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2007/00097

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी पक्ष द्वारा उक्त वाद संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति को आधार बनाते हुये पेश किया है, परन्तु प्रकरण में कायम विधिक तनकियात के निर्णय से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि H.U.F. की सम्पत्ति नहीं होकर पुनमचन्द-प्रेमराज पि.पन्नालाल के नाम से खरीद शुदा रही है। प्रकरण में कायम विधिक तनकियों को निर्णीत करने के पश्चात **Issues Of Facts** के संबंध में कायम वाद बिन्दुओं के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि विधिक प्रावधानों के अनुसार ही जब वादी का वाद चलने योग्य नहीं रहता है, तो तथ्यों के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रकरण में कायम चारों **Issues Of Laws** वादीनी के विरुद्ध निर्णीत होने से ग्राम बाली के हाल खसरा नंबर 2409 रकबा 0.58 हैक्टर व खसरा नंबर 2410 रकबा 0.34 हैक्टर के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। इसी कदर डिग्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फौसल शमार होकर नंबर से कम हो।



बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/6/025 को जारी किया गया।

(दिनेश विरनोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली